

कार्यालय, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, कबीरधाम (छ.ग.)

Email – dplckawardha@gmail.com

क्रमांक / 90 / DPLC / EOI / 2025

कबीरधाम दिनांक 28/05/2025

// रूचि की अभिव्यक्ति //

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज कबीरधाम (महराजपुर) में कौशल विकास प्रशिक्षण संचालन के लिए ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु "रूचि की अभिव्यक्ति" दिनांक 24/06/2025 अपरान्ह 5.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्रों में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी हेतु जिले की वेबसाइट www.kawardha.gov.in अथवा कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।


सहायक परियोजना अधिकारी,
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज
सोसायटी, कबीरधाम (छ.ग.)

कार्यालय, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, कबीरधाम (छ.ग.)

डीपीएस स्कूल के पीछे महराजपुर, Email – dplckawardha@gmail.com

क्रमांक / 90 / DPLC / EO1 / 2025

कबीरधाम दिनांक 28/05/2025

// रुचि की अभिव्यक्ति //

आवेदन की अंतिम तिथि 24/06/2025 समय अपरान्ह 5.00 बजे तक

आवेदन पत्र खोलने की तिथि 25/06/2025 समय अपरान्ह 12.00 बजे से

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज कवर्धा (महराजपुर) जिला कबीरधाम में निम्न सेक्टर में कौशल विकास प्रशिक्षण संचालन के लिए ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है :-

क्र.	सेक्टर का नाम	रिमार्क
1	Apparel Made-Ups & Home Furnishing	छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं छ.ग. राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी अंतर्गत समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।
2	Automotive	
3	Agriculture	
4	Construction	
5	Electronics & Hardware	
6	Retail	
7	Plumbing	
8	Green Jobs	
9	Beauty & Wellness (Yoga Instructor)	

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु लक्ष्य (MMKVY)

क्र.	सेक्टर का नाम	कोर्स का नाम	लक्ष्य
1	Automotive	Taxi Driver	60
2	Automotive	Automotive Service Technician (Two and Three Wheelers)	60
3	Construction	Mason General	60
4	Electronics & Hardware	Field Technician Computing and Peripherals	60
5	Electronics & Hardware	CCTV Installation Technician	40
6	Retail	Retail Sales Associate	60
7	Plumbing	Jal Vitaran Sanchaalk (Water Distribution Operator) (Multi - Skill)	120
8	Green Jobs	Solar PV Installer (Suryamitra)	90
9	Beauty & Wellness (Yoga Instructor)	Yoga Instructor	60

नोट -

- उपरोक्त लक्ष्य, आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय होंगे।
- उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में लक्ष्य आवंटित होने की दशा में चयनित ट्रेनिंग पार्टनर को लक्ष्य के विरुद्ध योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य संपादन करना अनिवार्य होगा।



//रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने वाली संस्थाओं हेतु अर्हताएं//

1. संस्था संबंधित उक्त सेक्टर/व्यवसायों में राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (CSSDA) रायपुर (छ.ग.) में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) के रूप में पंजीकृत हो।

या

ऐसे संस्था/प्रतिष्ठान जो उक्त व्यवसायों में शिक्षण/प्रशिक्षण/व्यवसाय करते हो तथा छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कंपनीज एक्ट 1956/ट्रस्ट रजिस्टर्ड एण्ड इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत हो (संस्था का पंजीयन विज्ञापित प्रसारण के दिनांक से न्यूनतम 3 वर्ष पूर्व का हो)।

या

छत्तीसगढ़ शासन/भारत सरकार के अधीन संचालित किसी कौशल विकास कार्यक्रमों का विगत 03 वर्षों से संचालन कर रहा हो।

2. संस्था को पूर्व में राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा Blacklist नहीं किया गया हो। (100 रु. के स्टाम्प में इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)
3. ट्रेनिंग पार्टनर हेतु आवेदित संस्था को प्रति सेक्टर 50,000/- (पचास हजार मात्र) की दर से सुरक्षा निधि, एफ.डी.आर. के रूप में आवेदन के साथ जमा करना होगा। एफ.डी.आर. नोडल अधिकारी, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज कवर्धा, जिला कबीरधाम के नाम से आईसीआईसीआई बैंक कवर्धा शाखा में देय के रूप में जमा करना होगा, जो वापसी योग्य होगा। प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग-अलग सुरक्षा निधि जमा किया जावे।
4. चयनित संस्था को छोड़कर, शेष की सुरक्षा राशि वापसी योग्य होगी।

//सामान्य शर्तें एवं दायित्व//

चयनित संस्था को निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अधीन कार्यों का सम्पादन करना अनिवार्य होगा :-

1. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्र. /एफ 10-30/2019/कौ.वि./42/दिनांक 16.08.2019 द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रशिक्षण संचालन किया जाना होगा।
2. चयनित संस्था, एक प्रशिक्षण सत्र के लिए होगा, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
3. चयनित संस्था को प्रशिक्षण संचालन हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के संचालन एवं अन्य गतिविधियों द्वारा कौशल प्रशिक्षण देने हेतु तय मानकों के तहत एवं समय-समय पर जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज के प्रबंधन द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार ही प्रशिक्षण संचालित करना होगा।
4. चयनित संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्य लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन द्वारा आवश्यकतानुसार आंबटित किया जावेगा। आवश्यकता नहीं होने पर लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन प्रशिक्षण कार्य, संबंधित संस्थाओं को देने बाध्य नहीं होगी।
5. चयनित संस्था के पास सेक्टर स्किल काउंसिल से TOT प्रमाणित प्रशिक्षक उपलब्ध होने पर कार्यदेश जारी किया जावेगा।
6. प्रशिक्षणार्थियों के लिये Induction Kit (Uniform, ID Card) एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था चयनित संस्था द्वारा ही किया जाएगा।
7. चयनित संस्था को अनिवार्य रूप से CSSDA के नियमानुसार प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों को On Job Training (OJT) देना अनिवार्य होगा।
8. चयन उपरांत प्रशिक्षण प्रारंभ के पूर्व संस्था के पास सेक्टर/कोर्स अनुरूप राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मापदण्डों के अनुरूप योग्यताधारी प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक उपकरण (लैब सेटअप ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा किये जाने की स्थिति में) अनिवार्यतः उपलब्ध हो।



9. चयनित संस्था को जिला परियोजना लाईवलीहुड कबीरधाम द्वारा नियत समय सारणी के अनुसार ही प्रशिक्षण संचालन करना अनिवार्य होगा।
10. चयनित संस्था को प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ से परीक्षा संपादन तक समस्त लिपिकीय कार्य, अनुशासन व्यवस्था, प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति एवं सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व होगा।
11. प्रशिक्षणार्थियों के मोबलाईजेशन एवं प्रशिक्षण उपरांत नियोजन की जिम्मेदारी चयनित संस्था की ही होगी।
12. चयनित संस्था को छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण की नवीन गाइड लाइन के परिशिष्ट अ की कण्डिका 13 अनुसार चयन उपरांत संस्थान से 50,000.00 की बैंक गारंटी अनुबंध की स्थिति में लिया जावेगा।
13. चयनित संस्था द्वारा CSSDA के मापदण्ड अनुसार गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा किसी भी समय यह पाया जाता है कि प्रशिक्षण मापदण्ड अनुसार नहीं है तो अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।
14. प्रशिक्षण लागत दर का निर्धारण :- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत प्रशिक्षण लागत छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप भुगतान हेतु निर्धारित किया जाएगा।
15. प्रशिक्षण राशि का विभाजन :- छ.ग. राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के पत्र क्रमांक/914/रापलाकासो/स्था. /2020-21 रायपुर दिनांक 28.01.2021 द्वारा जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी एवं ट्रेनिंग पार्टनर के मध्य प्रशिक्षण राशि के विभाजन के संबंध में क्रियान्वयन एवं अनुपालन हेतु जारी निर्देशानुसार :-

क्र.	लैब लागत राशि	प्रशिक्षण लागत राशि(%)	(A) भवन की उपलब्धता - लाईवलीहुड कॉलेज	(A) भवन एवं लैब सेटअप - लाईवलीहुड कॉलेज			
			(B) प्रशिक्षक एवं समस्त लैब सेटअप, उपकरण, आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था - ट्रेनिंग पार्टनर	(B) प्रशिक्षक एवं लैब के लिए आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था - ट्रेनिंग पार्टनर			
			प्रशिक्षण राशि का भुगतान प्रतिशत(%)				
			लाईवलीहुड कॉलेज	ट्रेनिंग पार्टनर	लाईवलीहुड कॉलेज	ट्रेनिंग पार्टनर	
1	10 लाख से अधिक होने की स्थिति में	100	10	90	30	70	
2	10 लाख से कम होने की स्थिति में		15	85			

16. लाईवलीहुड कॉलेज व ट्रेनिंग पार्टनर के मध्य विभाजन राशि के संबंध में राज्य कार्यालय द्वारा यदि विभाजन राशि नियम में परिवर्तन किया जाता है तो उस स्थिति में नियम के प्रभावी होने के दिनांक से या उसके बाद प्रारंभ होने वाले समस्त प्रशिक्षणों में राशि का भुगतान नवीन नियम के अनुरूप किया जावेगा।
17. चयनित संस्था को प्रशिक्षण राशि का भुगतान :- राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अद्यतन दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जावेगा।
18. मूल्यांकन शुल्क का भुगतान :- MMKVY योजनांतर्गत मूल्यांकन शुल्क का भुगतान ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा किया जाएगा जो प्रशिक्षण शुल्क Claim के साथ दिया जाएगा एवं PMKVY योजनांतर्गत मूल्यांकन शुल्क का भुगतान लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा किया जाएगा।
19. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर, जिला कबीरधाम का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निवेदा निरस्त करने/लोकहित में ऊपर वर्णित शर्तों में परिवर्तन का अधिकार नोडल अधिकारी, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज कबीरधाम के पास सुरक्षित है।

1. चयन नियमों के आधार पर प्राप्त आवेदनों को पात्र/अपात्र ट्रेनिंग प्रदाताओं में सूचीबद्ध कर दिया जावेगा। तत्पश्चात चयन हेतु गठित समिति द्वारा सभी पात्र आवेदनों का चयन मापदण्डों के आधार पर मूल्यांकन करके योग्य ट्रेनिंग पार्टनरों को सूचीबद्ध किया जायेगा। इस संबंध में संबंधित सेक्टर में ट्रेनिंग का अनुभव/ट्रेनिंग गुणवत्ता/नियोजन की जानकारी/प्रशिक्षकों की योग्यता आदि मापदण्ड को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. पूर्व में कौशल प्रशिक्षण प्रदाय करने के अनुभव हेतु प्रपत्र - अ (I) की हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
3. आवेदित संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित सेक्टर के जॉबरोल/कोर्स हेतु प्रशिक्षित हितग्राहियों के शत प्रतिशत नियोजन हेतु Tie up किये गये कंपनी/संस्थान/फर्म/नियोक्ता की जानकारी प्रपत्र -अ (II) के आधार हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा। यहां पर उल्लेखनीय है कि संस्थाएं Tie up किये गये विभिन्न कंपनी/संस्था/फर्म/नियोक्ता से अनुबंध (MOU) की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी होगी।
4. आवेदित संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित सेक्टर के जॉबरोल/कोर्स हेतु प्रशिक्षित हितग्राहियों के ऑन जॉब ट्रेनिंग हेतु Tie up किये कंपनी/संस्थान/फर्म/नियोक्ता की जानकारी प्रपत्र - अ (III) के आधार पर हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
5. ट्रेनिंग पार्टनर का चयन Score matrix के आधार पर प्राप्तांकों से किया जावेगा।

// आवेदन की प्रक्रिया //

1. संस्थाएँ प्रत्येक सेक्टर हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करें। यदि एक लिफाफे में एक से अधिक सेक्टर हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो सबसे उपर लिखे हुये सेक्टर के लिये आवेदन मान्य किया जावेगा। आवेदन पत्र का परिशिष्ट अ एवं ब भरा जाना अनिवार्य है।
2. आवेदन निर्धारित प्रारूप में निर्धारित तिथि एवं समय तक स्वीकार किये जावेंगे। निर्धारित समय पश्चात प्राप्त आवेदन को अमान्य कर दिया जावेगा।
3. आवेदन लिफाफा के उपर सेक्टर का नाम एवं आवेदित संस्था का नाम एवं पूर्ण पता मोबाइल नंबर सहित अंकित किया जाना अनिवार्य है।
4. आवेदन पत्र निर्धारित प्रतिभूति राशि के एफ.डी.आर. सहित लिफाफा में बंद कर आवेदन दिया जाना अनिवार्य है।
5. आवेदन पत्र बंद लिफाफा में निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी कबीरधाम, डीपीएसस्कूल के पीछे, ग्राम महाराजपुर, तह. बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.) में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित समय के पश्चात अथवा अन्य माध्यम से प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार्य होंगे।

(कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, सोसायटी कबीरधाम द्वारा अनुमोदित)


सहायक परियोजना अधिकारी,
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज
सोसायटी, कबीरधाम (छ.ग.)

कार्यालय, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी,
कबीरधाम (छ.ग.)

आवेदन पत्र

सेक्टर/व्यवसाय का नाम ट्रेनिंग पार्टनर बनने हेतु।

1. संस्था का नाम
(पूर्ण पता एवं दूरभाष एवं फ़ैक्स एवं ईमेल सहित)
.....
2. संस्था का नाम/VTP नाम/पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक:.....
.....
.....
.....
3. संस्था का कार्यक्षेत्र
.....
4. संस्था किन-किन व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिये
पंजीकृत है, कृपया उल्लेख करें।
5. संबंधित कोर्स के लिये प्रशिक्षकों एवं अन्य मानव संसाधन के
व्यवसायवार सूची एवं बायोडाटा संलग्न करें
6. व्यवसायवार उपलब्ध उपकरणों की सूची संलग्न करें :.....
7. विभिन्न व्यवसायों में संस्था का प्रशिक्षण
(परिशिष्ट अ (I) अनुसार)
8. प्रशिक्षितों के नियोजन हेतु टाई-अप की जानकारी
(परिशिष्ट अ (II) अनुसार)
9. OJT हेतु टाई अप कंपनियों का विवरण
(परिशिष्ट अ (III) अनुसार
10. संस्था का TAN/PAN/GSTn प्रमाणित प्रति संलग्न करें :.....
11. सुरक्षा निधि की राशि एफ.डी.आर. क्रमांक दिनांक बैंक का नाम
12. अन्य विवरण

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

टीप :-आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज सत्यापित कर संलग्न करें।



घोषणा पत्र

एतद् द्वारा संस्था यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी सत्य हैं। ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में चयन की स्थिति में संस्था समस्त निर्देशों का पालन करेगी।

स्थान

दिनांक

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)



परिशिष्ट- 'अ' (I)

पूर्व में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय का अनुभव

क्र.	सेक्टर का नाम	जॉब रोल/कोर्स का नाम	कार्यानुभव (वर्ष में)	योजना का नाम	कार्य क्षेत्र (ग्राम/शहर,ब्लाक, जिला, राज्य स्पष्टउल्लेखित करें)	रिमार्क (अनुभव दर्शित अवधि के लिये संबंधित योजना/विभाग से अधिकृत कार्यदेश/अनुबंध की प्रति संलग्न करें)
1	2	3	4	5	6	7

स्थान

दिनांक



संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

कार्यालय, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी,
कबीरधाम (छ.ग.)

परिशिष्ट- 'अ' (II)

प्रस्तावित सेक्टर/जॉबरोल/कोर्स के नियोजन हेतु टाई-अप कंपनियों की जानकारी

क्र.	सेक्टर का नाम	जॉबरोल / कोर्स का नाम	प्रस्तावित हितग्राहियों की संख्या	नियोजन				रिमार्क (संबंधित कंपनी से अनुबंध / स्टाम्प पेपर पर नियोजन संख्या दस्तावेज संलग्न करें)
				Industrial Linkage/ रोजगार हेतु Tie-up company				
				आवश्यक सिक्तियों की संख्या	पदनाम	कंपनी नियोक्ता का नाम व पूर्ण पता	मैबाइल नंबर एव ईमेल आइडी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान

दिनांक



संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के ऑन जॉब ट्रेनिंग हेतु टाई-अप कंपनियों की जानकारी

[illegible]

स्थान

दिनांक

Ans

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

कार्यालय, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी,
कबीरधाम (छ.ग.)

परिशिष्ट- 'ब'

प्रशिक्षण कार्य में नियोजित किए जाने वाले प्रशिक्षकों की जानकारी

क्र.	प्रशिक्षक का नाम	शैक्षणिक/व्यवसायिक योग्यता	सेक्टर/जॉबरोल/कोर्स का नाम	कार्यानुभव	TOT उत्तीर्ण तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7

प्रशिक्षण के संचालन हेतु अन्य मानव संसाधन (HR) की जानकारी

क्र	पदनाम	नाम	शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव	रिमार्क

स्थान

दिनांक



संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

कार्यालय, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी,
कबीरधाम (छ.ग.)
ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु स्कोर मेट्रिक्स

क्र	विवरण	स्कोर विभाजन	अधिकतम स्कोर	वांछनीय दस्तावेज
01	संस्था द्वारा पूर्व में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय का अनुभव	03 वर्ष तक = 5 03 वर्ष से अधिक 05 वर्ष तक = 10 05 वर्ष से अधिक = 15	15	शासन द्वारा जारी कार्यदेश की प्रति
02	Industrial linkage / रोजगार कंपनी से टाई-अप	5-10 = 5 11-20 = 15 21+ = 25	25	Attach company wise list in participating sectors on Employers Letter head
03	TOT Certified Trainer	ट्रेनर का सर्टिफिकेट एवं बायोडाटा (सेक्टर अनुसार)	10	Trainer bio data Educational certificate & ToT certificate
04	ऑन जॉब ट्रेनिंग	कंपनी द्वारा अनुबंध	10	—
06	प्रशिक्षण की कार्ययोजना	प्रेजेंटेशन	40	PPT प्रेजेंटेशन
कुल अंक			100	—



(मुख्य लिफाफा में चस्पा हेतु)

(पंजीकृत डाक)

सेक्टर का नाम में ट्रेनिंग पार्टनर हेतु आवेदन

प्रति ,

कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज
सोसायटी कबीरधाम, डीपीएस स्कूल के पीछे,
ग्राम महाराजपुर, तह. बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.)
पिन 491995

प्रेषक :-

आवेदित संस्था/फर्म का नाम

पूरा पता.....

मो.नं.

